



सं.राबैं.पुनर्वित्त/ 115 / एलटी मोन - 4 / 2020-21

23 अप्रैल 2020

परिपत्र सं. 116 / पुनर्वित्त - 38 / 2020

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- एमएफआई

महोदया/ प्रिय महोदय,

विशेष चल निधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत पुनर्वित्त नीति :एनबीएफसी-एमएफआई	Refinance Policy under Special Liquidity Facility (SLF): NBFC-MFIs
<p>कोविड 19-महामारी ने एक अभूतपूर्व क्रम की घटनाओं द्वारा एक मानवीय संकट लाया है. सक्रिय रूप से, नाबार्ड ने व्यवधानों को कम करने और वित्तीय संस्थानों को ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं और इस तरह किसानों और समाज के गैर-लाभकारी खंडों को उनकी ऋण जरूरतों को पूरा करने में मदद की है. इस संबंध में आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों की तरलता की स्थिति को बढ़ाने में समर्थन के लिए आगे आया है और आरबीआई, सहकारी बैंकों और एमएफआई को पुनर्वित्त करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल 2020 के पत्र के माध्यम से नाबार्ड को रु 25, 000करोड़ का आवंटन किया है.</p> <p>2. तदनुसार, दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 92 / डीओआर -20 / 2020 के दिशानिर्देशों के आधार पर एनबीएफसी-एमएफआई को विशेष चल निधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत पुनर्वित्त दिया जाएगा. हालांकि, एसएलएफ एक वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए है, लेकिन एमएफआई को हमारा पुनर्वित्त 18 महीने की अवधि के ऋण के रूप में होगा जिसकी पूर्ति हम स्वयम के धन से करेंगे.</p> <p>3. इस सुविधा के लिए भुगतान की अवधि 18 महीने होगी. हालांकि, आरबीआई से एसएलएफ नाबार्ड को</p>	<p>Covid-19 has pandemic brought an unprecedented sequence of events leading to a humanitarian crisis. Proactively, NABARD has taken several measures to reduce disruptions and maintain unhindered flow of credit to financial institutions and thereby helping farmers and unreached segment of society to meet their credit needs. In this connection RBI has come forward to support in augmenting the liquidity position of the financial institutions and has made an allocation of Rs.25000 Crore to NABARD for refinancing RRBs, Cooperative Banks and MFIs, vide their letter dated 17 April 2020.</p> <p>2. Accordingly, refinance under Special Liquidity Facility (SLF) will be extended to NBFC-MFIs based on the policy guidelines issued vide our circular No. 92/ DOR-20/ 2020 dated 13 April 2020. Although SLF is for a period of one year or less, our support to MFIs will be in the form of a term loan of 18 months duration by augmenting with our own funds.</p> <p>3. The repayment period for this facility shall be 18 months. However, the SLF from RBI is</p>

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-'24', जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel. 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : cvc@nabard.org

पहले आहरण से एक साल की अवधि के लिए दी गयी है और उस समय के दौरान इसे वापस चुकाया जाना है। तदनुसार, उधार लेने वाले एमएफआई को इस अवधि के अंत में एकमुश्त, शेष राशि की आनुपातिक राशि चुकानी होगी। पुनर्भुगतान की शेष राशि को एक या एक से अधिक किश्तों में मंजूरी पत्र में चुकौती सारणी के अनुसार चुकाना है। दंड ब्याज और पूर्वभुगतान दंड पॉलिसी परिपत्र संख्या 92 / डीओआर -20 / 2020 के खंड 5 के अनुसार होगी।

4. इस सुविधा के तहत ब्याज दर अलको के निर्णय के अनुसार और उपयोग किए गए स्रोत निधि के आधार पर होगी। सएलएफ सुविधा के तहत उपलब्ध निधियों की वर्तमान दर रेपो रेट + 300 बीपीएस, जिसके ऊपर लागू जोखिम प्रीमियम लगेगा। नाबार्ड के अपने संसाधनों से प्रदान की गई पुनर्वित्त की राशि सामान्य ऋण दर पर लागू दर के अनुसार होगी 5 जहाँ एनबीएफसी-एमएफआई का कॉर्पोरेट / प्रमुख कार्यालय है वहाँ के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पुनर्वित्त प्रस्ताव नाबार्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है

6. यह परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर सूचना केंद्र टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

7. कृपया पावती दें।

for a period of one year from of date first drawl by NABARD and has to be repaid back within that time. Accordingly, the borrowing MFIs have to repay the proportionate amount of the balance period in one lump sum at the end of such period. The remaining amount of refinance has to be repaid in one or more installments as per repayment schedule stipulated in the sanction letter. Penal interest and prepayment penalty shall be as per clause 5 of policy circular No. 92/ DOR-20/ 2020.

4. Interest rate under this facility shall be as per ALCO decision and based on the source fund utilized. The current rate for the funds available under SLF facility is 'Repo Rate + 300 bps' with applicable risk premium. The balance amount of refinance provided from NABARD's own resources will be charged at a rate as applicable to normal lending.

5. The refinance proposals may be submitted through Regional Offices of NABARD where the Corporate / Head Office of NBFC-mFI is located.

6. The Circular is also available on NABARD website www.nabard.org under the tab information Centre.

7. Please acknowledge receipt.

भवदीय

(जी जी माम्मेन)

मुख्य महाप्रबंधक